

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 802 सदन में उत्तर देने का दिनांक 09.03.2021

माननीय विधायक श्री रामपाल सिंह
स्टेट कनेक्टिविटी अवधारणा (नीति)।

—00—

- भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत (आई.ए.पी. जिलो को छोड़कर) जिलो में स्वीकृत ग्रेवल सड़को को डामरीकृत किया जाना।
- नये घोषित राजस्व ग्रामो को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंडानुसार डामरीकृत मार्ग से संपर्कता प्रदान की जाना।
- A-75 प्रतिशत राशि सामान्य कार्य—
 - A-1 आकस्मिकता यथा प्राकृतिक विपदा अतिवृष्टि इत्यादि के कारण आवागमन सुचारु संचालन आवश्यक मार्गो/पुल पुलियों की स्वीकृति।
 - A-2 Missing link अथवा Double connectivity के प्रकरण जिनमें निम्नानुसार मापदंड के कार्य लिये जा सकेंगे—
 - (A) 3000 से अधिक की आबादी लाभान्वित हो रही है।
 - (B) Growth center से जुड़ाव की दूरी आधी से कम हो रही है।
 - (C) कम से कम 0.5 किंतु अधिकतम 3 कि.मी. रोड।
 - अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य बसाहटो को प्राथमिकता दी जाएगी।
- B-25 प्रतिशत राशि अपरिहार्य —
 - B-1 मुख्यमंत्री जी की ग्रामीण विकास विभाग के ग्रामीण सड़कों के घोषणा के कार्य।
 - B-2 जनप्रतिनिधियो से प्राप्त प्रस्तावो को प्राथमिकता के आधार पर।

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 802 सदन में उत्तर देने का दिनांक 09.03.2021
माननीय विधायक श्री रामपाल सिंह

राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी के सम्बंध में

क्र.	विकासखण्ड	माननीय सांसद/ विधायको का नाम	नोटशीट / पत्र क्रमांक एवं दिनांक	पत्रों पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1	साँची	मान.डॉ. प्रभुराम चौधरी जी	नोटशीट दिनांक 18.06.2019 एवं दिनांक 24.09.2019	योजना की निरंतरता न होने के कारण मार्ग स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है बावत् मान. मंत्री जी को पत्र क्र. 20304 दिनांक 31.12.2020 द्वारा अवगत कराया गया।
2	गैरतगंज व साँची	मान.डॉ. प्रभुराम चौधरी जी	पत्र क्रमांक Q01 दिनांक 27.06.2020	योजना की निरंतरता न होने के कारण मार्ग स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है बावत् मान. मंत्री जी को पत्र क्र. 13775 दिनांक 14.09.2020 द्वारा अवगत कराया गया।
3	साँची व गैरतगंज	मान.डॉ. प्रभुराम चौधरी जी	(1) नोटशीट क्रं. 652 दिनांक 04.08.2020 (2) नोटशीट क्रमांक 653 दिनांक 04.08.2020	योजना की निरंतरता न होने के कारण मार्ग स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है बावत् मान. मंत्री जी को पत्र क्र. 12973 दिनांक 07.09.2020 द्वारा अवगत कराया गया एवं पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को भेजा गया।
4	साँची	मान.डॉ. प्रभुराम चौधरी जी	नोटशीट दिनांक 14.12.2020	योजना की निरंतरता न होने के कारण मार्ग स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है बावत् मान. मंत्री जी को पत्र क्र. 2106 दिनांक 03.02.2021 द्वारा अवगत कराया गया।
5	गैरतगंज	मान.डॉ. प्रभुराम चौधरी जी	3159 दिनांक 06.06.2019	योजना की निरंतरता न होने के कारण मार्ग स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है बावत् मान. मंत्री जी को पत्र क्र. 5754 दिनांक 21.05.2020 द्वारा अवगत कराया गया।